



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2231]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 10, 2019/आषाढ़ 19, 1941

No. 2231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 10, 2019/ASHADHA 19, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2019

का. आ. 2456 (अ).—जबकि, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश 8) के माध्यम से यथासंशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद् के अतिक्रमण में शासी मंडल का गठन उक्त अधिनियम के तहत परिषद् के कार्यों को निष्पादित करने एवं उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किया गया था;

अब, भारतीय चिकित्सा परिषद् (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 (2019 का अध्यादेश 5) के माध्यम से यथासंशोधित भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार भारतीय चिकित्सा परिषद् के अतिक्रमण में शासी मंडल के अतिरिक्त सदस्यों के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करती है:-

1. मेजर जनरल माधुरी कानितकर, एम.डी. (बाल रोग विशेषज्ञ), डीएनबी (बाल रोग विशेषज्ञ), डीन एवं डिप्टी कमांडेंट—एएफएमएस।
2. डॉ. पंकज एम. शाह, सलाहकार, गुजरात कैंसर एवं रिसर्च इंस्टिट्यूट।
3. डॉ. आर.वी. रम्मानी, शंकारा आई फाउंडेशन के संस्थापक और प्रबंधक ट्रस्टी।
4. डॉ. के.एस. शर्मा, निदेशक, (एकेडमिक्स), टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई।

[फा. सं. वी-11011/1/2018-एमईपी]

सुधांश पंत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health and Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2019

S.O. 2456(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by section 3A of the IMC Act, 1956 as amended through the Indian Medical Council (Amendment) Ordinance, 2018 (Ordinance 8 of 2018) promulgated on 26th September, 2018, the Central Government constituted a Board of Governors in supersession to Medical Council of India to exercise the powers and perform the functions of the Council under the said Act;

Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Indian Medical Council Act, 1956 as amended through the Indian Medical Council (Amendment) Section Ordinance, 2019 (Ordinance 5 of 2019), the Central Government hereby appoints the following persons as additional members of the Board of Governors in supersession to Medical Council of India:—

1. Maj Gen Madhuri Kanitkar MD (Pediatrics), DNB (Pediatrics), Dean and Deputy Commandant of AFMS.
2. Dr. Pankaj M Shah, Advisor, Gujarat Cancer & Research Institute.
3. Dr. R.V. Ramani, founder and managing trustee of Sankara Eye Foundation.
4. Dr. K.S. Sharma, Director (Academics), Tata Memorial Centre, Mumbai.

[F. No. V.11011/01/2018-MEP]

SUDHANSH PANT, Jt. Secy.